

## Yamuna Expressway Industrial Development Authority



Scheme Started on **15.08.2021** 

OPEN ENDED
Scheme

Allocation by **MONTHLY DRAW** 

Rera Registration No. UPRERAPRJ8947

Scheme Code-YEIDA/BHS-08/2021

FLATS WILL BE ALLOTTED ON A FIRST-COME-FIRST-SERVED BASIS



## Yamuna Expressway Industrial Development Authority

1st Floor, Commercial Complex, Block- P-2, Sector Omega- 1, Greater Noida- 201308 Distt. Gautam Budh Nagar, Website: www.yamunaexpresswayauthority.com



### बिल्टअप भवन योजना के अन्तर्गत (Ready to move) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटन की नियम एवं शर्ते सैक्टर—22डी

बी.एच.एस—08 / 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ योजना प्रारम्भ की तिथिः 15.08.2021

भवनों का आवंटन — : ''प्रथम आवत प्रथत पावत'' के आधार पर (ए) योजना विवरणः योजना का नामः ओपन एण्डेड, योजना कोडः बी.एच.एस–08/2021 ए–1 फ्लैटों का विवरण (सम्भावित) रेरा पंजीकरण नम्बर—: UPRERAPRJ8947

क्रम	प्रॉपर्टी	योजना	फ्लैट का	यूनिट एरिया (बाह्य	कारपेट एरिया	फ्लैटों की	सैक्टर	भवनों का मूल्य	पंजीकरण
₹.	कोड	का	प्रकार	दीवार एवं बालकनी		संख्या	का नाम	(रू. लाख में)	राशि (रू०.
		विवरण		के साथ)				(अनुमानित)	लाख में)
1.	01	एस् +4	1 बी.एच.के	54.75 वर्गमीटर	36.97 वर्गमीटर	522	22डी	23.44	2.35
				(589.32 ਕਸੰफੀਟ)	(397.94 वर्गफीट)				
2.	02	एस +16	2 बी.एच.के	99.86 वर्गमीटर	64.72 वर्गमीटर	393	22डी	35.13	3.52
				(1074.88 वर्गफीट)	(696.64 वर्गफीट)				

**Note:** All taxes as applicable.

टिप्पणीः प्राधिकरण बिना कारण बताये अपने अधिकार से फ्लैटो की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है। भवनों के आवंटन/ड्रा के समय जो भी आवंटन/भवन की प्रचलित दर/कीमत होगी उसी दर से भवन की कीमत देय होगी।

#### बिक्री मूल्य

- ब्रोशर में दी गयी कीमत/लागत अस्थायी है और फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करते समय परिवर्तित हो सकती है। यह परिवर्तन फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा/अधिग्रहण राशि/अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकता है। पट्टेदार/आवंटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व इस प्रकार की किसी भी वृद्धि का भुगतान करने संबंधित सहमति और अनुपातिक साझेदारी का वादा करना होगा।
- रेरा चार्ज तथा अन्य देय का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ए2: ऊपर उल्लिखित फ्लैट्स सेक्टर—22डी में होगे। विवरणिका के साथ फ्लैट्स के डिजाईन और मानचित्र उपलब्ध हैं। उपलब्ध डिजाईन और मानचित्र में फिटिंग और फिक्सचर का भी वर्णन है।
- यह प्रस्तावित है कि काम्प्लेक्स का कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक रख रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और उसके बाद काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों द्वारा गठित रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) द्वारा किया जायेगा। इसके बाद यह अनिवार्य होगा कि सोसाइटी (RWA) का गठन करें और काम्प्लेक्स की मरम्मत और रख रखाव के द्वारा हमेशा इसे अच्छा और रहने योग्य स्थान बनाये रखना सुनिश्चित करें। सभी आवंटियों को रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) का सदस्य बनना अनिवार्य है।
- पहले दो वर्ष काम्पलेक्स को साफ सुथरा और रहने योग्य बनाये रखने के लिए आवंटियों को 1 बी.एच.के. के लिये रूपये 1 लाख व

- 2 बी.एच.के. के लिये रूपये 1.50 लाख रख रखाव के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा खोले और अनुरक्षित किये "कोष" में जमा करने होंगे। आवंटियों पर यह शुल्क पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व देय होगा, जिसकी सूचना आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख किये जाने हेतु जारी चेकलिस्ट के माध्यम से दी जायेगीं।
- योजना के प्रथम व्यक्ति को अधिकार सौंपने के दो वर्षों के बाद फ्लैटों का रख रखाव रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा रख—रखाव पर होने वाले खर्च को RWA अपने श्रोतों से वहन करेगी।
- यदि किसी कारणवश RWA का गठन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों की लागत और खर्च पर प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा प्राधिकरण मासिक आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगी।
- प्राधिकरण द्वारा काम्प्लेक्स / पिरसर में वाणिज्यिक / नर्सरी स्कूल के लिए स्थान बिक्री के अलावा निवासियों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, एक गार्ड रूम, सामुदायिक केंद्र के लिए स्थान और एक छोटे से खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सभी नियमों और शर्तों के साथ सामुदायिक केंद्र को खरीदने, उसके प्रबंधन और सभी सुविधाओं के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेंसी को हस्तानांतरित कर सकता है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अपेक्षित प्रभार / शुल्क भुगतान के बाद यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कम्युनिटी सेंटर के नियमों व शर्तों के अधीन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता हैं।
- फ्लैट्स में अग्नि सुरक्षा और काम्प्लेक्स में वर्षा के जल के संग्रहण का प्रावधान कर दिया गया है।



 ड्रा के समय प्रॉपर्टी कोड-01 से 02 में दिये गये फ्लैट्स की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

### ए3ः यह शुल्क केवल फ्लैट्स के मूल बिक्री मूल्य से ऊपर हैं और उल्लिखित प्रॉपर्टी पर लागू हैं।

- 1 स्थान वरीयता पर प्रभार (पीएलसी)1 बी.एच.के. (एस+4) एवं 2बी.एच.के(एस+16) के लिए:-
- 1 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 100 / –वर्ग फीट
- 2 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 50/-वर्ग फीट
- 2 मंजिल से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

#### 2. कार पार्किंग

- 1 बी.एच.के (एस+4) एवं 2 बी.एच.के. (एस+16) के लिए फ्लैट के लिए
- काम्प्लेक्स के भीतर कवर क्षेत्र (स्टिल्ट) में कार पार्किंग हेतु रिक्त स्थान सीमित है। आवेदक को यह जानकारी दी जाती है कि वह आवेदन फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित कर ले कि वह कार पार्किंग लेने के इच्छुक हैं तो उनके द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम भरना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम रिक्त होगा तो भविष्य में पृथक से आवेदन ग्राहय नहीं होगा।
- आवेदक केवल एक कार के स्थान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक आवेदन अनुमन्य नहीं होगा। कार पार्किंग हेतु आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
- ड्रा में स्टिल्ट कार पार्किंग आवंटित होने की दशा में रूपये 1 लाख प्रति पार्किंग की दर से देय होगा।
- आवंटित कार पार्किंग स्थान की कीमत/लागत का भुगतान आवंटन के 30 दिनों के अंदर एकमुश्त भुगतान के रूप में जमा करना होगा।

#### बीः निर्घारित आरक्षित श्रेणियाँ

क्र. सं	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट हेतु अधिग्रहित / क्रय की गयी है।	17.5 प्रतिशत

#### नोटः

- कृषक जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी है, उसमें 21 प्रतिशत एवं
   प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भी बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा।
- दिव्यांगों के लिये निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कुल 3 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण आरक्षित श्रेणियों तथा अनारिक्षत श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमान्य होगा।
- उ. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निःशक्तजन आवेदकों के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण कुल प्रकाशित भवनों की 3 प्रतिशत भाग पर लागू होगा। इस श्रेणी के बीच आवंटन ड्रा के

- माध्यम से किया जायेगा और इस ड्रा में 1 प्रतिशत आरक्षण (3 प्रतिशत में से) नेत्रहीन आवेदकों के लिए रखा जायेगा।
- 4. उक्त श्रेणियों के विकलांग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5. यदि ड्रा के समय किसी भी आरक्षित श्रेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पाई जाती है तो बचे हुए फ्लैट को सामान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेंगें।

#### ग्राह्यता

#### बी1ः सामान्य श्रेणी

- आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- 2. इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी/पित के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड/भवन अथवा फ्री-होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।
- 3. आवेदक उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

#### बी2: विहित आरक्षित श्रेणी की पात्रता

- 1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- केवल ऐसे आवेदक आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया गया हो।
- 3. आवेदक उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पजींयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- बी3: पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गयी हो या जेवर एयरपोर्ट परियोजना हेतु अधिगृहीत/क्रय की गयी हो। इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता शर्तें तथा आवंटन प्रकिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—
- 1. ऐसे कृषक आवेदन के लिए पात्र होंगे जिनकी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत / क्रय की गयी हो या जेवर एयरपोर्ट परियोजना हेतु अधिगृहीत / क्रय की गयी हो



तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (ब्रोशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ—पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अडरटेकिंग—1 के अनुरूप जमा करना होगा।)

- यदि भूस्वामी अथवा उसके पति/पत्नी/आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट/भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- 3. आवेदक उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पित/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 4. इस श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक / आवंटी आवंटित बहु मंजिला फ्लैट्स को आवंटन तिथि के पांच साल बाद हस्तानांतरित कर सकते हैं।
- 5. अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित / क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवेदन पत्र निकल गया हो आवेदक द्वारा अतिक्रमित नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग—2 के अनुरूप जमा करना होगा जो ब्रोशर में संलग्न है।
- 6. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपित्त के करार / सहमित के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म—11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
- 7. अगर, सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उलंघन हुआ है तो आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जायेगा।

#### सी आवंटन की प्रक्रिया

- आवासीय भवनों का आवंटन "प्रथम आवत प्रथम पावत" आधार पर किया जायेगा। अर्थात जिस आवंदक का आवंदन पूर्ण रूप से भर पहले जमा किया जायेगा उनका आवंटन पहले किया जायेगा। आवंदकों के मध्य भवन संख्या / तल का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
- एक माह के अन्दर प्राप्त आवेदनों के मध्य भवन संख्या का ड्रा अगले माह के द्वितीय सप्ताह में कराया जायेगा। ड्रा की तिथि की सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- यदि ड्रा के समय आरक्षित क्षेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदनों से कम पायी गयी तो बचे हुए आवेदकों को सामान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेंगे।
- दिव्यागों को नीचे के तलों पर स्थित फ्लैटों का आवंटन फ्लैटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाऐगा।
- ड्रा के उपरान्त रिक्त भवनो की सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

#### डी. आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के लिए रुपये 500/- +18% जी. एस.टी. के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस स्थिति में ब्रोशर के मूल्य के लिये रुपये 500/- +18% जी.एस.टी. का डिमाण्ड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती / रसीद सम्बन्धित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।

आवेदन यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

#### डी1: आवेदन पत्र केवल नीचे दिये गये सारणी में अंकित बैंक से खरीदे और जमा किये जा सकते हैं

S. No.	Branch Code	ICICI Bank Branches Address			
	GREATER NOIDA				
1	1	Omega 1, P 2, Shopping Complex, Sector Builders Area, Greater Noida, UP (Nodal Branch)			
2	2	Krishna Apra Royal Plaza, D2, Alpha 1, Greater Noida			
3	3	ICICI Bank Ltd. S-4, Gamma-1,Gamma Shopping Complex Distt. Gautam Budh Nagar			
NOIDA					
4	4	K-1, Senior Mall, Sector 18, Noida			
5	5	Plot No. 43-48,65-67, Block B1, Sector 50, Noida			
6	6	Supertech Shopprix,C-134B, Sector-61, NOIDA			
7	7	Sg7 Ubs 1, Stellar It Park, C25, Sector 62 ,NOIDA			
8	8	H-1,34, Sector 63 Rd, D Block, Sec 63 NOIDA			
9	9	SHOP NO 31,57,58 City Plaza Greater Noida West,Gaur City, NOIDA			
10	10	SHOP NO LG F 8,9 & UG F9,10 Plot No GH 1, SECTOR 121, NOIDA			
	UTTAR PRADESH				
11	11	50 A Taj Road, Agra Sadar Bazar, Agra, UP			
12	12	217/360, Kesopur, Bhuteshwar Road, Mathura, UP			



13	13	Gr. Floor No. 2, Court Of Wards Compound, Opp. Gandhi Park, Aligarh, UP		
14	14	Naripur Road, Near Hathras Bus Stand, Hathras, UP		
15	15	Municipal No. 107 108, Old Number 193194, Civil Lines, Bulandshahr, UP		
16	16	Rajlok 4 Civil Lines Boundary Road, Near Bsnl Telephone Exchange, Meerut		
		LUCKNOW		
17	17	ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G.Marg, Hazratganj, Lucknow, UP		
18	18	3/64, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow		
		GHAZIABAD		
19	19	Ag-1; Plot Number-3; Aditya City Centre; Vaibhav Khand; Indrapuram		
20	20	Hall No. 4, Part A, Gaur Global Village, Crossing Republic		
21	21	R1/88, Raj Nagar, Ghaziabad		
		FARIDABAD		
22	22	17-19 Ramneek Complex, Tikona Park NIT-1, Faridabad, Haryana		
23	23	SCO 104-105 District Centre Scotor 16 Faridabad		
DELHI				
24	24	9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi		
25	25	Plot No. 5 6, Lsc 3, Dwarka, Sec 06, Delhi		
26	26	A117/118 Palam Extn. Sector 7 Near Ramphal Chowk, Dwarka, New Delhi		
27	27	A 34, Lajpat Nagar, New Delhi		
28	28	D-16, South Extension, Part II, New Delhi 110049.		
29	29	B78, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi		
30	30	C32 Malviya Nagar, New Delhi		
31	31	C17, Local Shopping Centre, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi		
32	32	C2425, Acharya Niketan, Mayur Vihar, Phase 1, Delhi		
33	33	W57, Greater Kailash I,New Delhi		
34	34	65, Jyoti Building, 66, Chandra Building, Nehru Place, New Delhi		
35	35	43, Community Center, New Friends Colony, New Delhi		
36	36	Plot No 2, LSC , Mandawali Fazalpur Near Balaji Max Hospital, IP Extn, New Delhi		
37	37	B368, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi		
38	38	A25, Pushpanjali Enclave, Outer Ring Road, Saraswati Vihar, Pitampura, New Delhi		
39	39	19 West Avenue, Punjabi Bagh, West, New Delhi		
40	40	Express Building, 910, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi		
41	41	2212/64, Gurudwara Road, Karol Bagh, Delhi		
		GURUGRAM		
42	42	Sco 18 & 19 Huda Shopping Complex, Sector-14, Gurugram		

Financing option available at ICICI BANK Ltd Branches after allotment subject to necessary qualification. Terms & Conditions of the financing bank will apply.

#### ईः भुगतान योजना

### ई1: ब्याज सहित पाँच वर्षीय किश्त योजना (भुगतान कोड ई—1) 1 बी.एच.के. (एस+4) एवं 2 बी.एच.के. (एस+16) फ्लैटों के लिए

 इस योजना में, प्रत्येक प्रॉपर्टी कोड में दिये गये फ्लैटों की निर्धारित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 60 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि दस छःमाही बराबर (8.50 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक

#### छ:माही) किश्तों में देय होगा।

**Note:** the interest rate will be revised on every 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July of each year as instructed in G.O. No. 1567/77-4-20-36N/20 Dated 09 June 2020.)

#### नोटः

 इस प्रपत्र के संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा। यदि आवंटी द्वारा योजना में आवंदन करने हेतु बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन सम्बन्धी सूचना बैंक को प्रेषित की जायेगी।



- आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान/एक मुश्त धनराशि जमा कराने की स्थिति में आवंटी को भवन की कुल धनराशि पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगीं। इसके लिये आवंटी को एक मुश्त भुगतान से पूर्व प्राधिकरण को सूचित करना होगा तथा भुगतान के बाद प्राधिकरण को भुगतान के साक्ष्य (UTR No. of NEFT/RTGS and copy of Bank Challan Etc.) उपलब्ध कराना होगा।
- छःमाही किस्तों का भुगतान निर्धारित समय में नही किये जाने की दशा में डिफाल्टर अविध के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज (अर्थात 11.50% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) दण्ड स्वरूप देय होगा।
- इस प्रपत्र के संदर्भ में लीज डीड निष्पादन की तिथि को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

#### एफः भुगतान विधि

- 1. सभी भुगतान प्राधिकरण को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे— आर्डर जो नोएडा / ग्रेटर नोएडा पर देय हों, के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिये आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किये जायेंगे। The payments can be made online on authority's payment gateway portal or through RTGS/NEFT.
- 2. आवंटन धनराशि हेतु सामान्यतः समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटी द्वारा देय आवंटन राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो विलम्ब अविध के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही अधिकतम 60 दिन के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि समय विस्तरण की दशा में 11.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर (जिसका आकंलन छमाही चकवृदि ब्याज के आधार पर किया जायेगा।) बकाया धनराशि पर (on pro-rata basis) देय होगा।

Note: The interest rate will be revised on every 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July of each year as instructed in G.O. No. 1567/77-4-20-36N/20 Dated 09 June, 2020.)

3. आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान / एक मुश्त धनराशि जमा कराने की स्थिति में आवंटी को भवन की कुल धनराशि पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगीं। तत्पश्चात यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त भुगतान का विकल्प ग्रहित किया जाता है तो शेष धनराशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। इसके लिये आवंटी को एक मुश्त भुगतान से पूर्व प्राधिकरण को सूचित करना होगा तथा भुगतान के बाद प्राधिकरण को भुगतान के साक्ष्य (UTR No. of NEFT/RTGS and copy of Bank Challan Etc.) उपलब्ध कराना होगा।

#### जीः क्षेत्रफल

आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमित नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि साधारण ब्याज दर जो तत्समय एस.बी.आई. के बचत खाते पर देय हो के आधार पर वापस कर दी जायेगी।

#### एचः 'जैसे है जहां है' के आधार पर

क्रेता द्वारा फ्लैट 'जैसे है जहां है' के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारम्भ कर स्वीकार किये जायेंगे।

#### आई: असफल आवेदक

उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अविध के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी यदि जमा राशि की अविध एक वर्ष से अधिक है तो उस एक वर्ष से अधिक अविध के लिए Prevailing simple interest rate of saving A/c in SBI दर से जमा धनराशि पर ब्याज दिया जायेगा।

#### जेः समर्पण

- ज्रा/आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
- 2. ड्रा/आवंटन के उपरान्त किसी भी समय आवेदक/आवंटी जमा धनराशि को वापस ले सकता है, परन्तु आवंटन उपरान्त जमा धनराशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
- 3. यदि आवंटी निर्धारित समय मे देय आवंटन राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये फ्लैट के लिये निरस्तीकरण की तारीख तक जमा राशि में से 10 प्रतिशत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा शेष राशि को बिना ब्याज वापिस कर दिया जायेगा।
- 4. पट्टा प्रलेख के उपरान्त समर्पण की स्थिति में सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

नोटः यदि आवंटी उपरोक्त समर्पण क्लॉज में दिये गये समय के पश्चात अपना समर्पण प्रत्यावेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नहीं होगा। समर्पण के प्रकरणों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन समर्पण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवंटी को समर्पण पत्र के साथ मूल पंजीयन पावती संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

#### केः निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण / पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख / आवंटन को निरस्त करने हेत् अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

- 1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
- 2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
- 3. आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम/ब्रोशर के नियम एवं शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2 व 3) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा



में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फ्लैट मय ढांचे के प्राधिकरण / पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी / पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

#### एलः पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया

पलैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा और पट्टा किराया लीज डीड निष्पादन से पूर्व फ्लैट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा। यदि आवंदक वार्षिक भू—भाटक देना चाहता है तो उसे कुल फ्लैट के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक अग्रिम के रुप में पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से देय होगा। वार्षिक भू—भाटक 10 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढा दिया जायेगा।

#### एमः पट्टा अनुबंध का निष्पादन

अधिसूचना संख्या — 3066/ 11.05.2009 - 500 (100)/ 2008 दिनांक 12.6.2009 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत आवंटी को आवंटन के 6 माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादित करा कर सबरिजस्टार गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा अन्यथा लीज डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्किल दर पर स्टाम्प डयूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

#### एनः पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन

आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 180 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज / पट्टा प्रलेख (लीज़ डीड का निष्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। यदि आवंटी भवन की लीज डीड का निष्पादन निर्धारित तिथि से 180 दिन के अन्दर कराने में असफल पाया जाता है तो लीज डीड निष्पादन हेतु दो वर्ष का समय विस्तरण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि प्रथम वर्ष हेतु भवन के कुल प्रीमियम का 1 प्रतिशत विस्तरण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात द्वितीय वर्ष हेतु भवन के कुल प्रीमियम का 2 प्रतिशत विस्तरण शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से आवंटी / अंतरिकी से लिया जायेगा।इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

नोटः प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख कब्जे का पदभार संभालने की तिथि के रूप में गिना जायेगा।

#### ओः दस्तावेजी प्रभार

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकरिमक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

#### पी: गिरवी रखना

1. आवंटी / पट्टाधारक, प्राधिकरण / पट्टादाता की पूर्व सहमति

लेकर भूखण्ड / फ्लैट की लीज डीड निष्पादन / पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेत् फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन / गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड / फ्लैट की अनर्जित बढ़ी कीमत 50 प्रतिशत का वो प्रतिशत जो पटटादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड / फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/ गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय / दिवालियेपन की आज्ञप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।

- आवंटी को फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी।
- परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।
- 4. मोर्गेज की स्थिति में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का रहेगा। यदि प्राधिकरण की देयता अवशेष रहती है तो विवाद की स्थिति में प्रथम भुगतान प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा तथा प्राधिकरण को वित्तीय लेनदार (Financial Creditor) माना जायेगा।

#### क्युः फ्लैट का हस्तांतरण

#### क्यू 1: कानूनी उत्तराधिकारी

 अपने (महिला / पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला पलैट के हस्तान्तरण की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सीईओ द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

#### क्यू2: कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त

• कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला पलैट के हस्तान्तरण की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

#### आरः दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि

पलैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य फ्लैट के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने



पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और फ्लैट का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

#### एसः करों के भुगतान का दायित्व

आवंटी / पट्टाधिकारी को फ्लैट के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

#### टीः भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु

प्राधिकरण के आवासीय परिसर के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिलीय फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी / पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी / पटटाधिकारी को भी मान्य होगा।

#### यू: अनुरक्षण

- पट्टाधारक समूचे परिसर तथा भवन को हर समय बेहतर हालत में रखेगा
- आवंटी की संतुष्टि के अनुरूप बेहतर सफाई आदि की व्यवस्था करेगा। आवंटी फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध स्विधाओं को साफ—सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
- 3. आवंटी को प्राधिकरण के अनुच्छेद 8, 9 और 10 अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विनियमों, उप नियमों, निर्देशों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करना होगा।
- प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्ड निर्धारित किया जाएगा, वह दण्ड मान्य होगा।

- पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकृल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
- 6. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- 7. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक / सेक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्लू ए. / एन.एम.सी. गठित करनी होगी।

#### वीः अन्य अनुच्छेद

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय—समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- 3. यदि प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवंदित बहुमंजिलीय फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि (Penal Interest छोडकर व डिफाल्ट धनराशि की कटौती उपरान्त) जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। रिफण्ड / सरेण्डर के प्रकरणो में रजिस्ट्रेशन धनराशि पर ब्याज की गणना आवंदन की अंतिम तिथि से होगी एवं समर्पण रिफण्ड आवंदन तिथि तक ही ब्याज देय होगा।
- 4. सभी विवादों का आवंटन / पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- 5. आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम / विनियम लागू माने जायेंगे।
- फ्लैट का स्वामित्व पित / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
- प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।
- 8. मात्र पंजीयन धनराशि जमा कर देने से ही कोई आवेदन फ्लैट के आवंटन का हकदार नहीं होगा।
- 9. यदि जमा पंजीकरण राशि विवरणिका में उल्लखित पंजीयन राशि की तुलना में कम होती है, तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

#### मैनेजर

(प्रॉपर्टी —बी.एच.एस 08/2021 फ्लैट योजना) फोन नं. 0120-2395152, फैक्स नं. 0120-2395150 'अन्डरटेकिंग' पेज 9 एवं 10 पर उपलब्ध है



## प्रतिभूपत्र—।

## Undertaking - I अन्डरटेकिंग—1

<b></b>	पुत्र श्री	
ग्राम	का निवासी हूँ तथा ग्राम	
के खाता संख्या		खसरा संख्या
में मेरा		भाग क्षेत्रफल
	था जिसका अर्जन सुनियोजित विव	न्नास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।		
यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या	ख	सरा संख्या
क्षेत्रफल		स्थित ग्राम
की भ्	पू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1)	/ 17 की अधिसूचना दिनांक
	को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनां	क
को जारी होकर कब्ज	ा दिनांक	को
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ह	स्तांतरित हुआ है।	
यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर	बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति वे	हे आधार पर प्राप्त कर लिया
गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा	सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्या	यालय में लंबित नहीं है।

### आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।



प्रतिभूपत्र—2

## Undertaking - 2 अन्डरटेकिंग—2

में	पुत्र श्री
ग्राम	का निवासी हूँ तथा ग्राम
के खाता संख्या	खसरा संख्या
में मेरा	भाग क्षेत्रफल
	था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।	
यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या	खसरा संख्या
क्षेत्रफल	स्थित ग्राम
की व	मू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) / 17 की अधिसूचना दिनांक
	को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक
को जारी होकर कब्ज	॥ दिनांक को
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ह	इस्तांतरित हुआ है।
यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर	बिना किसी आपत्ति के करार / सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया
गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा	

### आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

# MASTER PLAN FOR YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL **DEVELOPMENT AREA (PHASE - I) - 2021** (For Notified Area of GautamBudh Nagar & Bulandshahr District) LEGEND:-RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL INSTITUTIONAL MIXED USE SDZ / SPORTS CITY TRANSPORTAT (Including city level transport facilities) **GREENBELTS & PARKS** RECREATIONAL GREENS AGRICULTURE WATER BODIES VILLAGE ABADI **RAILWAY STATION** LOCATION FOR GRADE SEPARATOR \_\_ 75m ROW CANAL WITH GREEN BELT RAILWAY TRACK NOTIFIED AREA BOUNDARY APPROVED IN BOARD MEETING (BY CIRCULATION) DATED :- 19.08.2013 Sector 22D Notified Area of Khurja Devt. Authority FUTURE USE oposed for International Airport & Aylation Hub (5000 Ha.Approx.) Proposed New Expre From Palwal to Khui 0 0.5 2 3 4 5 kms. TITLE: Master Plan YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL **DEVELOPMENT AUTHORITY** Cost - 500/- + GST